प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/समन्वयक जिला स्वास्थ्य समिति,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/1534-75 दिनांक 01.10.2012

विषय–राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अन्तर्गत रिट याचिका संख्या–1348/2012 (एस0बी0) डा0 आशीष कुमार दीक्षित एंव अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 26/09/2012 को निम्न प्रकार आदेश दिया गया है–:

"Accordingly, we direct the opposite party No.5/Mission Director, National Rural Health Mission, U.P. to re-engage the petitioner against the increased vacancies under the scheme ,if there is no other legal impediment and in case, the vacancies still remain thereafter, said vacancies shall be filled-up in accordance with law.

The writ petition stands disposed of in above terms. "

मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा अन्य रिट याचिका संख्या–1633/2011 (एस0बी0), डा0 विनोद कुमार एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं इस रिट याचिका के साथ निस्तारित रिट याचिका संख्या–1665/2011 (एस0बी0), डा0 हरजेन्द्र सिंह एंव अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2010/2011(एस0बी0), डा0 राजेश कुमार वर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 1816/2011 (एस0बी0) डा0 अतुल कुलकर्णी एंव अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में दिनांक 24.09.2012 को निम्न प्रकार आदेश दिया गया है–:

"Accordingly, we direct the opposite party No.4/Mission Director, National Rural Health Mission, U.P. to re-engage the petitioner against the increased vacancies under the scheme ,if there is no other legal impediment and in case, the vacancies still remain thereafter, said vacancies shall be filled-up in accordance with law.

With these observations/ directions, all aforesaid writ petition are disposed of finally."

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 हेतु विभिन्न कार्यक्रमों हेतु संविदा पर बी0डी0एस0 की तैनाती जिला स्वाथ्य समिति के द्वारा की जानी है/की जा रही है, पुनः संविदा पर लिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है।

1. यदि रिक्त पदों पर नवीन तैनाती की जानी है तो पूर्व से अनुबन्ध पर कार्यरत उपरोक्त रिट याचिकाओं से सम्बन्धित एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदा चिकित्सकों का विगत वर्ष के कार्यो का मूल्यांकन निर्धारित प्रारूप पर करते हुए सुयोग्य पाये जाने पर पुनर्अनुबन्ध किया जाए।
2. उपर्युक्त स्वीकृति जिला स्वास्थ्य समिति को इस आशय से दी जा रही है कि एन0आर0एच0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों के रिक्त पदों पर उपरोक्त रिट याचिकाओं से सम्बन्धित जनपदों में संविदा के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार बी0डी0एस0 चिकित्सकों की तैनाती करना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

01.10.12

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्रांक– एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/विधि/ दिनांक 10.2012

प्रतिलिपिः निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वाथ्य सेवा महानिदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0,एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, एन0आर0एच0एम0,एस0पी0एम0यू0 लखनऊ।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक एन0आर0एच0एम0 लखनऊ।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक